तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 2854 / 2004 / भीलवाडा** **निगरानी / टि0ए0 / 2855 / 2004 / भीलवाडा** **राजेन्द्र प्रसाद बनाम छोगा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.01.2021	**<u>एकल पीठ</u>** श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य उपस्थिति :– श्री बसंत विजयवर्गीय, अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** हस्तगत दोनों निगरानियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला भीलवडा द्वारा दिनांक 03–06–2004 को प्रकरण संख्या 38/97 शीर्षक राजेन्द्र प्रसाद बनाम छोगा व अन्य में पारित आदेंश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। दोनों प्रकरणों में समान तथ्य, पक्षकारान होने से इन दोनों निगरानियों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में चस्पा किया जाए। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/प्रार्थी की ओर से खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जिसमें अनुतोष चाहा गया कि वादपत्र के पैरा संख्या–2 में वर्णित पडौस की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1371 या 1393 में से 1 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए और वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाये कि उक्त खसरा नम्बरान में से वादी की आराजी का बिकाव अन्य किसी के पक्ष में करते हुए हस्तान्तरण नहीं करें। कब्जा प्रतिवादी संख्या–1 से वादी के पक्ष में दिलाया जाए। प्रतिवादी की ओर से असहमति का जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। वादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया कि वादी को प्रतिवादी छोगा के पिता लक्ष्मण को आराजी खसरा नम्बर 2202/1 में से 7 बीघा 16 बिस्वा आराजी आवंटित होने के नामांतरकरण की जानकारी हुई है दस्तावेज दिनांक 216–2–2004 को प्राप्त हुआ है और प्रकरण में अहमद दस्तावेज है। पडौसियों के आराजी की खसरा गिरदावरी भी अहमद दस्तावेज है जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहे हैं। पुराने व नये नम्बरों की तुलना हेतु मिलान खसरा पेश किया जा रहा है। ये सभी दस्तावेज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 2854 / 2004 / भीलवाडा** **निगरानी / टि0ए0 / 2855 / 2004 / भीलवाडा** **राजेन्द्र प्रसाद बनाम छोगा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में आवश्यक हैं, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाए। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से इसका जबाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3–6–2004 से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया। इसी प्रकार से दिनांक 23–3–2004 को एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151, सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के साथ बजरंग एवं गलकू को भी पक्षकार बनाया जाए। प्रत्यर्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया और परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक दिनांक 3–6–2004 से इस प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया। मण्डल के समक्ष हस्तगत दोनों निगरानियां इन्हीं दोनों आदेशों के विरुद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई हैं। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, जिसके आदेशार्थ पत्रावली हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी संख्या 2004/2854 में दोराने बहस दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 2202/1 में से 1 बीघा भूमि वादी को आवंटित की गई है तथा पूर्व में इसी खसरा नम्बर में से 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी छोगा के पिता लक्ष्मण को आवंटित हुई थी। प्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2202/1 मी0 का नया नम्बर 1371 है परन्तु उसे नक्शे में 1371 के स्थान पर 1393 दर्शित किया गया है, जिससे पक्षकारों के मध्य मौके पर स्थिति खेत की स्थिति विवादित हो गई है। इसके निस्तारण के लिए खसरा नम्बर 2202/1 मी0 रकबा 1 बीघा की सीमाओं तथा खसरा नम्बर 2202/1 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा की सीमाओं का निर्धारण कर वास्तविक विवाद को निस्तारित करना है। इसके लिए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अहम हैं, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाए। इसके विपरीत इस बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन रहा है कि प्रकरण बहस के स्तर पर है और इस स्तर पर किसी दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। जिन दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया था उन्हें पूर्व में ही पेश किया जाना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इनका प्रार्थना पत्र सही प्रकार से खारिज किया है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी संख्या 2004/2855 में दोराने बहस कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 102 को देखने पर ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी लक्ष्मण माली को आवंटित हुई थी और लक्ष्मण के फौत होने से उसके वारिसान में प्रतिवादी स्वयं,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 2854 / 2004 / भीलवाडा** **निगरानी / टि0ए0 / 2855 / 2004 / भीलवाडा** **राजेन्द्र प्रसाद बनाम छोगा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुत्र बजरंग व बहिन मु0 गलकू हैं। अतः प्रतिवादी के साथ बजरंग एवं गलकू को भी प्रतिवादी बनाया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था। इसके प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने कथन किया कि अन्य सह काश्तकारों को पक्षकार बनाये बिना दावा चलने के सम्बन्ध में तनकी संख्या–3 कायम की गई है तथा शहादत वादी, प्रतिवादी हो चुकी है। इन तनकी की जानकारी निगराकार पक्ष को रही है, अतः इस स्तर पर इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। निगरानी खारिज की जाये। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा जिन दस्तावेजात को वाद का आधार बनाया गया है, उन दस्तावेजात को पूर्व में ही प्रस्तुत कर देना चाहिए था। प्रकरण में विधिवत रुप से तनकियात कायम हो चुकी हैं और प्रकरण बहस की स्टेज पर नियत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यदि दस्तावेजात प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो प्रकरण में नये सिरे से साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने होंगे और नये सिरे से परीक्षण करना होगा। इस प्रकार तनकियात कायम होने के बाद इस प्रकार का आदेश 7 नियम 14(3) सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर इसके साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने से न्याय प्रकिया में अनावश्यक विलम्ब होगा, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना पत्र को खारिज करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। इसी प्रकार से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151, सी0पी0सी0 के परीक्षण में स्पष्ट होता है कि प्रकरण में जो जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार वादी को इस आशय का ज्ञान था कि प्रकरण में दो अन्य सह खातेदार बजरंग एवं गलकू रहे हैं, किन्तु उनके द्वारा इस तथ्य पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्य सह खातेदारान होने के बिन्दु पर परीक्षण न्यायालय के स्तर पर तनकी संख्या–3 कायम की गई है और इस तनकी पर परीक्षण न्यायालय के स्तर पर विवेचन होना शेष है। बजरंग एवं गलकू के प्रकरण में पक्षकार होने के बिन्दु पर इस दौरान आपत्ति की जा सकती है। प्रकरण में तनकियात कायम हो जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151, सी0पी0सी0 प्रस्तुत करने से नये सिरे से सम्पूर्ण कार्यवाही करनी होगी। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 2854 / 2004 / भीलवाडा** **निगरानी / टि0ए0 / 2855 / 2004 / भीलवाडा** **राजेन्द्र प्रसाद बनाम छोगा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151, सी0पी0सी0 को खारिज करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निगरानी के माध्यम से इन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः दोनों निगरानियां सारहीन होने से **खारिज** की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार बाद आवश्यक कार्यवाही वापिस भिजवाया जाए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	